policy brief

May 2020

# संस्थागत 'क्वारंटाइन' केंद्र- घर से दूर एक घर

A Joint Effort By

PRIA

Knowledge. Voice. Democracy.

Martha Farrell Foundation

उन्नति

cysd

समर्थन

Sahbhagi Shikshan Kendra

## पृष्ठभूमि

एक अनुमान[1] के अनुसार देश में लगभग 6.5 करोड़ अंतर्राजीय प्रवासी हैं, और इनमें से 33 प्रतिशत प्रवासी श्रमिक हैं। एक अन्य अध्ययन[2] ने अनुमान लगाया कि भारत के बड़े शहरों में 29% आबादी दिहाड़ी मज़दूरों की है और वे अपने मूल राज्यों में वापस जाना चाहते हैं। चूंकि लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते अनिश्चितता बढ़ी है, इन शहरों के लाखों लोगों ने अपनी आजीविका के लिए परेशान हुए बिना, पैदल, साइकिल से, बसों, ट्रेनों या किसी अन्य संभावित साधनों आदि सेअपने मूल स्थानों की वापस यात्रा शुरू की है I उनका प्राथमिक उद्देश्य स्वयं और अपने परिवारों को COVID19 और भुखमरी से बचाना है। लेकिन जब उन्होंने अपने गांवों की यात्रा शुरू की, तो यह उनकी कल्पना से परे था कि उनका अपने मूल राज्यों द्वारा कैसे स्वागत किया जाएगा। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद, उन्होंने ब्लॉक या ग्राम पंचायत स्तर पर बनाये गए "क्वारंटाइन केंद्रों' में अपनी यात्रा समाप्त की।

### प्रमुख चुनौतियां

यद्यपि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटाइन करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें क्वारंटाइन केंद्रों पर स्वास्थ्य, प्रशासनिक और तकनीकी क्रियाएं शामिल हैं, लेकिन देश भर के विभिन्न स्थानों से आने वाली सूचनाएं अलग-अलग कहानियां सुना रहे हैं। देश के कई हिस्सों में, स्थानीय प्रशासन और पंचायतें लौटे हुए प्रवासियों को 'क्वारंटाइन या सेल्फ-आइसोलेट' करने में संघर्ष कर रहे हैं। वे भूखे, थके हुए, डरे हुए और क्रोधित हैं और उनमें संक्रमण के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए वे 'क्वारंटाइन' का कारण नहीं समझते हैं। इसके अलावा, जल्दबाजी में बनाए गए 'क्वारंटाइन' केन्द्रों' में इन चिंतित और थके हुए प्रवासियों के समूहों के लिए भोजन की, सोने की, शौचालय की, और पीने के पानी की सुविधाएँ भी संतोषजनक नहीं हैं। प्रवासी परिवारों में महिलाओं और बच्चों के रहने के लिए या शौचालय की अलग सुविधा भी नहीं है। चिंतित, भयभीत और थके हुए वे, एक बार फिर से असुरक्षित और अवांछित महसूस कर रहे हैं (टंडन, 2020)[3]। समर्थन द्वारा छत्तीसगढ़ के जशपुर, राजनांदगांव, रायपुर और सरगुजा के 109 क्वारंटाइन केंद्रों में किए गए एक अध्ययन[4] से पता चला है कि 32 प्रतिशत केंद्रों में महिलाओं के लिए अलग रहने की व्यवस्था नहीं है और 26 प्रतिशत केंद्रों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा नहीं है। इसके अलावा, जिन केंद्रों में 25 से अधिक प्रवासी रह रहे हैं, वहां सामाजिक दूरी, भोजन, पानी और शौचालय की सुविधा पर्याप्त नहीं है। इस अध्ययन से यह

[1] 2020 के लिए दिए गए अनुमान, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (RIS), नई दिल्ली

[2] सेंटर फॉर स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) और अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, 2019 द्वारा अध्ययन

[3] टंडन, राजेश (2020), क्वारंटाइन में लौटना - तुम्हारा या मेरा?
https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/returning-to-quarantine-yours-or-mine/

[4] छत्तीसगढ़ में क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति, (मई 2020), समर्थन, भोपाल
https://samarthan.org/covid/img/materials/status-of-quarantine-center-cg.pdf

भी पता चला कि 23 प्रतिशत केंद्रों में मनोरंजन या मनोरंजक गतिविधियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए प्रवासी इन केंद्रों में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली धारणा यह है कि इन केंद्रों में प्रवासी कामगारों को बीमार समझा जाता है और यह कलंक उनके बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है।

**स्वैच्छिक संस्थाओं और पंचायतों की पहल**

स्वैच्छिक संस्थाओं[5] और ग्राम पंचायतों[6] के अनुभवों के अनुसार, संस्थागत क्वारंटाइन केंद्रों के मॉडल की आवश्यकता को समझना महत्वपूर्ण है ताकि देश के विभिन्न भागों से अपने घरों को आने वाले प्रवासी इन केंद्रों में 14 दिन का क्वारंटाइन करने के लिए तैयार हो जाएँ। सिटीजन एक्शन ग्रुप, CYSD और अभियान (भुवनेश्वर आधारित स्वैच्छिक संगठन) के द्वारा एक मॉडल संस्थागत क्वारंटाइन केंद्र के लिए एक प्रोटोकॉल[7] तैयार किया गया है । इस प्रोटोकॉल के अनुसार कैंप- जैसे, निवासी-अनुकूल वातावरण वाले 'क्वारंटाइन' केंद्र बनाए जाने की बात कही गयी है । इन 'क्वारंटाइन' केंद्रों में लोग योग, श्रमदान, विभिन्न खेलों, प्रतिभा-विनिमय और कई अन्य गतिविधियों के माध्यम से व्यस्त रहते हैं ताकि इनका मनोबल बना रहे। उन्हें समाचार पत्र, किताबें, धार्मिक शास्त्र, रेडियो आदि की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि वे खुद का मनोरंजन कर सकें । यह 'क्वारंटाइन' केंद्र दृष्टिकोण परिवर्तन और व्यवहार परिवर्तन के एक केंद्र में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में हैं। इसलिए, यह देखा गया है कि जिन 'क्वारंटाइन' केंद्रों में यह प्रोटोकॉल प्रायोगिक है, वहां लोगों में अब इन केंद्रों से दूर भागने की प्रवृत्ति कम है। उत्पादक कार्यों में व्यस्त होने के अवसर इन लोगों को अपने प्रियजनों से कुछ और दिन दूर व्यतीत करने में मदद करते हैं। इन संस्थाओं ने 'क्वारंटाइन' केंद्रों के प्रबंधन के लिए स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण भी किया है और उन्हें 'क्वारंटाइन' केंद्र में काम करते समय अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए एक चेकलिस्ट भी प्रदान की है।

इसी तरह रायपुर की समर्थ संस्था, राज्य का सबसे बड़ा 'क्वारंटाइन' केंद्र चला रही है जिसमे एक समय में लगभग 500 प्रवासी रह चुके हैं। केंद्र के उचित प्रबंधन के लिए, कई टीमों / समितियों का गठन पूर्व निर्धारित भूमिकाओं के साथ किया गया है जैसे कि खाद्य समिति, रसद समिति आदि। निवासियों को लगातार उचित स्वच्छता प्रथाओं और शारीरिक दूरी बनाने पर प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें व्यस्त रखने के लिए कई गतिविधियाँ भी हैं I नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य की जांच की जाती है, और उन्हें मनोरोग विशेषज्ञ कि सहायता भी प्रदान की जाती है। उन्हें आजीविका गतिविधियों जैसे कि आभूषण बनाना, डिटर्जेंट बनाना, मास्क बनाना आदि में भी शामिल किया गया है ताकि वे पैसा कमा सकें और बेरोजगार होने का तनाव न हो। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परिवार कि जानकारी को प्रलेखित किया गया, और उन्हें

[5] समर्थ, रायपुर, छत्तीसगढ़; अभियान और CYSD, चाजपुर, खंडमाल और मलकानगिरी, ओडिशा; समर्थन, पन्ना, मध्य प्रदेश

[6] ग्राम पंचायत- इटवा, गोविंदगढ़, राजस्थान; कनूरिया, भुज, गुजरात; मनकापुर, यवतमाल, महाराष्ट्र; वलियापारम्बु, कासरगोड, केरल

[7] विस्तृत प्रोटोकॉल संलग्नक 1 में प्रदान किया गया है

श्रम विभाग के साथ एक जुड़ाव प्रदान किया गया। ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने 13 मई को स्वैच्छिक संगठनों के एक समूह[8] द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन संवाद "संस्थागत क्वारंटाइन: केंद्र- घर से दूर एक घर" के दौरान

प्रतिभागियों ने निम्नलिखित मुद्दों / चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जो 'क्वारंटाइन' केंद्रों के कुप्रबंधन के कारण हैं और उनके समाधान भी प्रदान किए गए:

1. अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा, ए.एन.एम. एवं अन्य) के पास थर्मल स्कैनर, मास्क, दस्ताने, पी.पी.ई. किट आदि उचित और पर्याप्त सुरक्षात्मक उपकरणों तक पहुंच सीमित है या है ही नहीं है। इन कार्यकर्ताओं को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और संवेदनशील नहीं बनाया गया है जिसकी वजह से वे 'क्वारंटाइन' केंद्रों में रहने वालों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे है।
2. गाँव / पंचायत स्तर पर 'क्वारंटाइन' केंद्रों के प्रबंधन के लिए स्वयंसेवकों के एक दल की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत नेताओं को युवा स्वयंसेवकों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वास्थ्य अधिकारियों को स्वयंसेवकों को सुरक्षा उपायों और उनके कार्यों पर उन्मुख करना चाहिए। युवाओं को उचित ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता है जो उनके अन्दर स्वयंसेवक बनने के डर को कम कर सकता हैं।
3. प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में अपने मूल राज्यों में वापस आ रहे हैं, और अधिकारी ना इस स्थिति पर नियंत्रण कर पा रहे हैं और ना ही जवाबदेही प्रदान कर पा रहे हैं। 'क्वारंटाइन' केंद्रों में लोगों के प्रति सामाजिक पक्षपात भी दिखाई रहा है क्योंकि अन्य गाँव के लोग उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ग्राम पंचायत नेताओं को आश्वासन दिया जाना चाहिए, और किसी भी टकराव के मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा शीघ्र प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए ताकि ग्राम पंचायतें ऐसी स्थितियों को मजबूती से संभाल सके।
4. 'क्वारंटाइन' केंद्रों में सीमित कमरे हैं इसलिए महिलाओं के लिए अलग सुविधायें नहीं हैं। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सुरक्षित और निजी स्थान की कमी है। पुरुषों और महिलाओं के लिए कई केंद्रों पर एक ही शौचालय है, इसलिए वो अत्यधिक गंदे भी हैं। मासिक धर्म स्वच्छता हेतु आवश्यक सामग्री जैसे सेनेटरी पैड आदि अनुपलब्ध हैं, और इन उत्पादों के सुरक्षित निपटान के लिए भी कोई जगह नहीं है। सार्वजनिक भवनों जैसे स्कूलों में, जिनमें ज़्यादा कमरे उपलब्ध होते हैं उनमें 'क्वारंटाइन' केंद्रों कि स्थापना की जानी चाहिए, और पुरुषों और महिलाओं के लिए कम से कम दो अलग-अलग शौचालय स्थापित किए जाने चाहिए।
5. 'क्वारंटाइन' केंद्रों में सुविधायें गर्भवती महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इन महिलाओं को फर्श पर सोना पड़ता है क्योंकि 'क्वारंटाइन' सुविधाओं में बेड की कमी है। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और छोटे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। ग्राम पंचायतों को पास के टेंट हाउस से बेड, गद्दा, बेडशीट आदि किराए पर लेने के लिए धन का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि महिलाओं के ठहरने की उचित व्यवस्था हो सके। 'क्वारंटाइन' केंद्रों में रह रहे प्रवासी लोगों के परिवार के सदस्यों को भी घर से ऐसी वस्तुएं प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
6. 'क्वारंटाइन' केंद्रों में बच्चों को भी परेशानी हो रही है क्योंकि उन्हें उचित पोषण नहीं मिल रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों के लिए आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के नियमित मेनू के अनुसार पकाया भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय किया जाना चाहिए।

[8] PRIA इंटरनेशनल एकेडमी (PIA); मार्था फैरेल फाउंडेशन (MFF), नई दिल्ली; सेण्टर फॉर यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट (CYSD), भुवनेश्वर; समर्थन, भोपाल; उन्नति, अहमदाबाद और सहभागी शिक्षण केंद्र (SSK), लखनऊ

7. 'क्वारंटाइन' केंद्रों में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। 'क्वारंटाइन' केन्द्रों में पास के पुलिस स्टेशन, हेल्पलाइन, साथ ही कुछ महिला पंचायत प्रतिनिधियों, महिला पुलिस कर्मचारियों के फोन नंबर प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। रात्रि में केंद्र के लिए उचित प्रकाश व्यवस्था, इमरजेंसी लाइट और यदि संभव हो तो रखवाली के लिए स्वयंसेवक सुनिश्चित करना चाहिए।
8. 'क्वारंटाइन' केंद्रों में ट्रांसजेंडर समुदाय की पहुंच और सुरक्षा भी एक चुनौती है।
9. ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से जुड़ा कलंक और डर लोगों में व्यापक रूप से प्रचलित हैं। इसलिए समुदाय और निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने वाले जागरूकता अभियान इस डर और कलंक को कम करने में उपयोगी होंगे।
10. सामुदायिक भागीदारी और विशेष रूप से 'क्वारंटाइन' सुविधाओं को स्थापित करने और चलाने में महिलाओं की भागीदारी को पर्याप्त रूप से बढ़ावा नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायतों और प्रशासनिक अधिकारियों को इसे प्राथमिकता के रूप में लेना चाहिए ।
11. ग्राम पंचायतों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी एक बड़ी चिंता का विषय है। ग्राम पंचायतों द्वारा 'क्वारंटाइन' केंद्रों को चलाने के लिए 14वें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग करके हेतु स्पष्ट निर्देशों की आवश्यकता है। धनराशि के उपयोग और व्यय पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि ग्राम पंचायतें बिना किसी भय और अस्पष्टता के धन का उपयोग कर सकें। इसके अलावा, 'क्वारंटाइन' केंद्रों को स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायतों के लिए अग्रिम धनराशि जारी करने की आवश्यकता है।

*संलग्नक 1*

## क्वारेंटीन केन्द्र के लिए गतिविधि योजना (एकांत निवास)[9]

प्रवासी श्रमिक ओडीसा राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ और हमारी सांस्कृतिक विरासत के दूत हैं। कोविड-19 के कारण मजदूर देश के विभिन्न हिस्सो मे फंसे हुये हैं, और अब वे अपने गांव लौट रहे हैं। अपने परिवार और प्रियजनों में शामिल होने से पहले उन्हें क्वारेंटीन सेन्टरों में अलग- थलग किया जा रहा है। सक्रिय वयस्कों को बिना किसी रचनात्मक जुड़ाव के लंबे समय या कई दिनों तक खाली या बिना काम के नहीं बैठाया जा सकता। कई दिनों से बिना काम-धंधे के बेकार बैठे रहने और लंबी दर्दनाक यात्रा ने इन प्रवासी मजदूरों के जीवन को तनावपूर्ण बना दिया है। क्वारेंटीन सेन्टरों को एक संसाधन केन्द्र के रुप मे विकसित करने की आवश्यकता है, जो प्रशिक्षण केन्द्र के रुप में जागरुकता और जीवन कौशल को विकसित करने के लिये बहुत अच्छा और अनुकूल स्थान हो सकता है।

### मुद्दे और चुनौतियां

1) आने वाले दिनों में हजारों प्रवासी मजदूरों की घर वापसी होगी, जिनके लिए क्वारेंटीन सेन्टरों की संख्या मे कई गुना वृध्दि करनी पड़ सकती है। इसकी वजह से प्रशासन और प्रबंधन के सामने अप्रत्याषित चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।
2) बिना काम के हफ्तों तक बैठे रहने वाले इन हजारों सक्रिय वयस्कों को तनाव और अवसाद सहित शारीरिक और मानसिक दोनों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम कानून व्यवस्था की समस्याओं से भी इंकार नहीं कर सकते।
3) इन्हें रचनात्मक रूप से जोड़े रखने के लिए सकारात्मक सहयोग जरूरी है, जिसके लिए एक ऐसा दैनिक गतिविधि चार्ट तैयार करना होगा जो शिक्षाप्रद और मनोरंजक भी हो।
4) यदि क्वारेंटीन सेन्टरों में ठहराए गए प्रवासी मजदूरों की कौशल प्रोफाइल का दस्तावेजीकरण किया जाता है तो यह भविष्य में स्थानीय संसाधन के रूप में बहुत उपयोगी एवं सहायक होगा।
5) वयस्कों के दृष्टिकोण और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना एक बड़ी चुनौती है।
6) आखिरकार प्रवासी श्रमिक समुदाय में रहने के लिए केन्द्रों से बाहर निकलेंगे, इनका कोविड-19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम के प्रचार-प्रसार में उपयोग किया जा सकता है।
7) तनाव और अवसाद से पीड़ित व्यक्तियों के लिए परामर्श सेवाओं की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिये स्थानीय कॉलेजों/संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है।
8) उद्देश्य यह होना चाहिए कि इस चुनौती को अवसर के रूप में परिवर्तित करके, इन केन्द्रों को सतत् रूप से चलने वाले लर्निंग सेन्टरों के रूप में विकसित किया जाए।

### पाठ्यक्रम और गतिविधि चार्ट

स्थानीय संसाधनों की सहायता से एक विचारशील और रचनात्मक दैनिक कार्ययोजना क्वारेंटीन केंद्रों में रहने वाले व्यक्तियों को अधिक शिक्षाप्रद, सूचनात्मक, मनोरंजक और सहनशील बनाएगी।

गतिविधियों में निम्न विषय शामिल किये जा सकते हैं:

- ✓ प्रार्थना, ध्यान और योग।

[9] डॉ भगबान प्रकाश, सिटीजन एक्शन ग्रुप और CYSD, भुवनेशवर द्वारा निर्मित

- ✓ प्रतिभागियों के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान।
- ✓ विभिन्न विषयों पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल।
- ✓ कोरोना पर चर्चा एवं इसका प्रभाव।
- ✓ उच्च जोखिम वाले व्यवहार के मुद्दे।
- ✓ उचित मूल्य की दुकान (पीडीएस), पात्रता आधारित अधिकारिता, काम का अधिकार, भोजन का अधिकार सहित कल्याणकारी योजनाओं पर उन्मुखीकरण।
- ✓ विचार मंथन परामर्श और आपस में बातचीत।
- ✓ कृषि, डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन आदि उद्यमों की जानकारी।
- ✓ श्रमिकों के अधिकार, लैंगिक भेदभाव संबंधी मुद्दे।
- ✓ मतदाता की लोकतंत्र और चुनावी भागीदारी, मतदाता के कर्तव्य और जिम्मेदारियां।
- ✓ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन।
- ✓ कहानी सुनाना, अखबार पढना, गीत, संगीत।
- ✓ सामाजिक समरसता पर आध्यात्मिक ज्ञान।

**दैनिक मॉडल गतिविधि योजना**

दिन को तीन भागों में बांटें - पूर्वाह्न सत्र, दोपहर का सत्र और सायंकालीन सत्र

**पूर्वाह्न सत्र (सुबह 07-11.00 बजे तक)**

- सुबह की प्रार्थना
- क्वारेंटीन सेन्टर प्रबंधक द्वारा स्वागत
- प्रतिभागियों द्वारा स्वयं का परिचय (केवल पहले दिन)
- योग, प्राणायाम और ध्यान
- दिनभर की गतिविधि के बारे में जानकारी देना
- नाश्ते का समय
- कोरोना से लड़ाई - चुनौती और अवसर
- रोकथाम कौशल और जोखिम प्रबंधन पर चर्चा

**दोपहर का सत्र (12.00 से 02.00 बजे तक)**

- दोपहर का भोजन और विश्राम

**अपराह्न सत्र (03.30-5.30 बजे तक)**

- कोरोना से बचाव हेतु सुरक्षा उपाय - स्वयं, परिवार और समुदाय की रक्षा करना
- कल्याणकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी पर सत्र
- कौशल उन्नयन
- नेतृत्व और संचार कौशल पर खेल
- स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और पारिवारिक संबंधों पर विचार मंथन

**सायंकालीन सत्र**

- सर्वधर्म प्रार्थना और संगीत
- रामायण, भागवत, आदि धार्मिक ग्रन्थों का पाठ

- वाद्य यंत्र, अंताक्षरी, गीत प्रतियोगिता और एकल अभिनय
- दिन भर की समीक्षा और अगले दिन की योजना, कार्य समिति की बैठक
- रात का खाना और विश्राम

शारीरिक दूरी को बनाए रखते हुए सत्रों को चिंतन-मंथन, सवाल-जवाब, पहेलियाँ और चुटकुले तथा गतिविधि आधारित खेलों के माध्यम से रूचिकर एवं मनोरंजक बनाने के प्रयास किया जाना चाहिए। प्रतिभागियों को सभी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दिन भर आयोजित गतिविधियों के अंत में प्रतिभागियों से स्व-मूल्यांकन कराना चाहिए। अगले दिन गतिविधियों की गुणवत्ता और सामग्री को बेहतर बनाने के लिए सीखे गए पाठों का दोहराव। गतिविधि और सत्रों की विषय-वस्तु में स्थानीय परिस्थिति, प्रतिभागियों की प्रोफाइल और जरूरतों के आधार पर बदलाव कर, प्रासंगिक और बेहतर बनाया जा सकता है।

**क्वारेंटीन केंद्रों  के नाम में बदलाव**

- क्वारेंटीन एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ संख्या 40 है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के बाहर, विषेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस शब्द को ठीक से समझ पाना बेहद कठिन है।
- यह शब्द बहुत गूढ़, रहस्यमयी और लोगों के मन में डर पैदा करने वाला है।
- हमारी संस्कृति के अनुसार अन्य जाने, पहचाने नामों, जैसे - एकांतवास, निरापद वास या कोरोना सुविधा केन्द्र, आदि नामों पर विचार किया जा सकता है।